# न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
## पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2020 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 10.01.2020
GCMS No.-2020/00008

इंडियन बैंक, शाखा उदयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

–प्रार्थी

बनाम

1–मैसर्स मेवाड़ फूड इण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर श्री प्रकाश चन्द्र पुरोहित पताः– प्लॉट नं. 06, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मंगलवाड़, जिला चित्तौड़गढ़
2–श्री विनय जोशी पुत्र श्री खूबी लाल जोशी पताः– गीतांजली सैकण्डरी स्कूल के पीछे, ऋषभदेव, उदयपुर

–अप्रार्थीगण

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

**उपस्थिति :** 1– श्री आनन्द सिंह, प्रतिनिधि मैसर्स दी ऑथोराइज्ड इनफोर्समेन्ट एण्ड रिकवरी एजेन्सी

### आदेश

दिनांक 25.08.2020

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 20,00,000/– रू. + 35,00,000/– रू. इस प्रकार कुल राशि 55,00,000/– रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया शशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 ऋणी दिनांक 11.02.2020 को उपस्थित हुआ उसके पश्चात् बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री तस्लीम खाँ पठान ने अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर जवाब–बहस हेतु अवसर चाहा। पर्याप्त

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवसर दिए जाने के बावजूद भी विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अधिकार पत्र पेश नहीं किया तथा न ही जवाब प्रस्तुत किया। दौराने बहस विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण प्रार्थी सुनी गई।

बैंक के प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

**फैक्ट्री भूमि एवं भवन प्लॉट नं. 6, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मंगलवाड़ चौराहा, तहसील डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़ में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 669 वर्गमीटर है। चतुर्थ सीमाएं:-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| पूर्व में :- | प्राईवेट भूमि | पश्चिम में :- | औद्योगिक भूमि की रोड़ |
| उत्तर में :- | औद्योगिक भूमि की रोड़ | दक्षिण में :- | प्लॉट नं. 7 |

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 15.04.2019 तक कुल राशि 55,64,674/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(के. के. शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official